न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 17 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

शंकर पुत्र श्री गोबता जाति भील निवासी सिहाणिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.केसाराम पुत्र श्री लिछमणाराम
2.रूपाराम पुत्र श्री लिछमणाराम
दोनों जाति रबारी निवासी सिहाणिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
3.एस.डी.आई.शाखा प्रबंधक, सेड़वा
4.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 191 / 2021 बअनवान केसाराम वगै. बनाम शंकर वगै. में पारित आदेश दिनांक 17.12.2021।

उपस्थित

1. वकील श्री केसराराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 25.05.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत ग्राम सिहाणिया के खसरा नम्बर 69 रकबा 117.17 बीघा आया हुआ है, प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के पाड़ोस में अप्रार्थी शंकर का खेत खसरा नम्बर 639 / 68 रकबा 31.11 बीघा आया हुआ है उससे आगे कटाण मार्ग है जहा से होकर अपीलार्थी अपने खेत से कटाणी रास्ते तक जाता है जो मार्ग कदीम से है जो प्रार्थी के लिये एकमात्र रास्ता है। इस आशय का प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उपरोक्त आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किए जाने का आदेश दिया उसके बाद तारीख पेशी दिनांक 06.10.2021 को रखी उसके बाद पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मिठड़ी में 17.12.2021 को रखी गयी इस बावत अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के प्रार्थना–पत्र के खण्डन करने, जवाब का अवसार देने अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने को अवसर प्रदान नहीं किया तथा कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया की पालना किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है जो आदेश विधि एवं न्याय के अनिवार्य प्रावधानों के खिलाफ होने एवं अपीलार्थी के सुनवाई के अधिकार पर कुठाराघात किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा पैरवी के लिए नियुक्त अधिवक्ता को सुनवाई के समय पुकार किये बिना एवं पत्रावली पर प्रस्तुत वकालतनामें की अनदेखी करके एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका रिपोर्ट को तैयार करते समय अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा एकतरफा मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 69 के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता अल्प दूरी पर मौके पर खसरा नम्बर 67 में से दिया जा सकता है चुंकि अपीलार्थी एक जनजाति का गरीब व्यक्ति है तथा प्रस्तावित रास्ते पर अपीलार्थी की ढाणी आई हुई है फिर भी उसके खेत में से रास्ता निकालने का एकतरफा आदेश पारित किया गया। अपीलांट को परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय क सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस व्यक्तिगत तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 191/2021 बअनवान केसाराम वगै. बनाम शंकर वगै. में पारित आदेश दिनांक 17.12.2021 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का एक अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाई गई हो तो आगामी आदेश में समायोजित किया जावे। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.06.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर